न्यायालयः उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 –142/17

अनवान : –

1. रतनसिंह पुत्र श्री रामचंद्र जाति जाट निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2. विनोद कुमार पुत्र श्री रामचंद्र जाति जाट निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
3. राजेश पुत्र श्री रामचंद्र जाति जाट निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

:– वादीगण

ब ना म

1. रामचंद्र पि0मु0 सजना जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2. ओमीदेवी पत्नी रामचंद्र जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमागढ
3. गायत्री देवी पुत्री रामचंद्र जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमागढ

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थितः–श्री प्रभूराम गोदारा वकील वादी

श्री राजेन्द्रसिंह वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः– 25.1.18

दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रामचंद्र के तीन पुत्र रतनसिंह, विनोद, राजेश व एक पुत्री गायत्री उत्पन्न हुई। रामचंद्र खोलायत पुत्र सज्जना के नाम से चक 2 जेएसएल के खाता सं0 120/118 में पत्थर न0 00 मु0 न0 3 के किला न0 13 की 0.253है0, किला न0 14/1 की 0.126है0, किला न0 17 की 0.253है0, किला न0 18 की 0.253है0, किला न0 24/1 की 0.126है0 कुल 1.0110है0 नहरी खातेदारी स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में रामचंद्र पुत्र खोलायत पुत्र सज्जना के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार चक 5 जेएसएल के खाता सं0 242/229 के पत्थर न0 0 मु0 न0 44 के किला न0 6/1 की 0.025है0, किला न0 15/1 की 0.139है0, किला न0 16/1 की 0.240है0, किला न0 17/1 की 0.089है0, किला न0 23/1 की 0.051है0, किला न0 24/1 की 0.228है0, किला न0 25 की 0.253है0, कुल 1.025है0 (बारानी 1.012है0) गै0मु0 रास्ता 0.013है0, पत्थर न0 0 मु0 न0 45 किला न0 9 की 0.253है0, किला न0 10/1 की 0.202है0, किला न0 11 ता 12 की 0.506है0, किला न0 19 ता 22 की 1.012है0, कुल 1.973है0 बारानी, पत्थर न0 0 मु0 न0 61 किला न0 1 ता 2

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

की 0.506है0, पत्थर न0 0 मु0 न0 62 किला न0 2/1 की 0.381है0, किला न0 3/1 की 0.215है0, किला न0 4 ता 5 की 0.506है0, कुल 5.759है0 कुल भूमि 4.263है0 (बारानी 4.237है0 गै0मु0 रास्ता 0.26है0) खातेदारी स्थित है जो वर्तमान में रामचंद्र पुत्र खोलायत पुत्र सज्जना के नाम खातेदारी दर्ज की हुई है। वादी ने वाद पत्र में रामचंद्र के नाम दर्ज भूमि को दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना बतलाया है। जो प्रतिवादी रामचंद्र को अपनी खोलायत माता सज्जना के उतराधिकार से प्राप्त होना बताया है। वादीगण का यह भी कहना है कि रामचंद्र परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण भूमि उनके नाम दर्ज हो गई वादीगण ने अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने स्वयं उनके व प्रतिवादीगण के महज आपस में बटवारा होने का कथन किया है। बंटवारा में प्रतिवादी रामचंद्र को चक 2 जेएसएल में स्थिरत 2.256है0 भूमि व चक 5 जेएसएल में स्थित कृषि भूमि 2.821है0 भूमि रामचंद को प्राप्त होना बताया है। रामचंद्र को मिली उक्त कृषि भूमि उसे अपने जन्म से पिता के विरासत से मिलने का कथन किया है। वादीगण ने आगे कथन किया है कि रामचंद्र की पत्नी ओमी देवी एवं उसकी पुत्री गायत्रीदेवी अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। इसलिए उनका इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 रामचंद्र, ओमीदेवी व गायत्री ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना इकबालदावा पेश किया है। इकबालदावा में वाद मे वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर लेने के कारण दावा में विवाद्यक बनना नहीं पाया गया है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में पी0डब्ल्यू0 न0 1 रतनसिंह, पी0डब्ल्यू0 न0 2 राजेश, पी0डब्ल्यू0 न0 3 विनोद के ब्यान लिये गये। जिनसे प्रतिवादीगण ने कोई जिरह नहीं की तथा दस्तावेज साक्ष्य में जमाबंदी चक 5 जेएसएल संवत 2073 –2076 जो प्रदर्श 1, चक 2 जेएसएल संवत 2072–2075 जो प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 2 जेएसएसल संवत 2072–2075 जो प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 5 जेएएसल संवत 2073–2076 जो प्रदर्श 4, चक 5 जेएसएल इन्तकाल सं0 73 जो प्रदर्श 5, चक 2 जेएसएल इन्तकाल सं0 32 जो प्रदर्श 6 पेश की तथा पुरानी जमाबंदी खेवट खतौनी चक 5 जेएसएल संवत 2045 जो प्रदर्श 7, जमाबंदी चक 5 जेएसएल संवत 2045 जो प्रदर्श 8, जमाबंदी चक 5 जेएसएल संवत 2035 जो प्रदर्श 9, जमाबंदी चक 5 जेएसएल संवत 2036 जो प्रदर्श 10 जमाबंदी चक 5 जेएसएल संवत 2021–25 जो प्रदर्श 11, पेश कर साक्ष्य में प्रदर्श करवाई गई।

बहस पक्षकारान सुनी गयी। वकील वादी द्वारा दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत (2013) o supreme (sc) 52085 Rohit chouhan V/S Surinder singh civil Appeal No. 5475 of 2013 @ SLP (C) No. 22388 of 2011 decided on 15-07-2013 तथा Civil court cases 2000 (3) पृष्ठ सं0 573 से 581 Mewa Singh & ORS V/S

Sampuran Singh (Punjab & Haryana High Court) पेश की। वादीगण द्वारा पेश जमाबंदिया व मौखिक शहादत से वादीगण यह साबित करने मे सफल रहा है कि रामचंद्र को वाद भूमि विरासतन अपनी खोलायत माता सज्जना से प्राप्त हुई है। चूंकि रामचंद्र के नाम दर्ज कृषि भूमि उसकी स्वयं की कमाई से स्वयं अर्जित सम्पति नहीं है, वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायक सम्पति है। हिन्दू विधि के अनुसार सहदायक सम्पति में पुत्रों का जन्म से हक निहित होता है। प्रतिवादी ने भी अपने जवाब में वादपत्र के वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है। बहस वकुलाए फरिकेन पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्यंतों का ससम्मान अध्ययन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्यंत Mewa Singh & ORS V/S Sampuran Singh (Punjab & Haryana High Court) के पृष्ठ सं0 273 में Para 11 – Hindu Law- Ancestral or Self acquired property- In the absense of personal source of income property purchased in the name of an individual cannot be said that it is not an ancestral property वादीगण द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं प्रतिवादीगण की स्वीकृति व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के आधार पर विवादित कृषि भूमि में वादीगण का जन्म से हक निहित होना व बंटवारे मे वादीगण को भूमि मिलना पूर्णतया साबित होता है।

वाद वादी डिक्री योग्य होने से यह घोषणा की जाती है कि चक 2 जेएसएल के खाता सं0 120/118 में पत्थर न0 00 मु0 न0 3 के किला न0 13 की 0.253है0, किला न0 14/1 की 0.126है0, किला न0 17 की 0.253है0, किला न0 18 की 0. 253है0, किला न0 24/1 की 0.126है0 कुल 1.0110है0 नहरी खातेदारी स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में रामचंद्र पुत्र खोलायत पुत्र सज्जना के नाम खातेदारी दर्ज है, इस प्रकार चक 5 जेएसएल के खाता सं0 242/229 के पत्थर न0 0 मु0 न0 44 के किला न0 6/1 की 0.025है0, किला न0 15/1 की 0.139है0, किला न0 16/1 की 0.240है0, किला न0 17/1 की 0.089है0, किला न0 23/1 की 0.051है0, किला न0 24/1 की 0.228है0, किला न0 25 की 0.253है0, कुल 1.025है0 (बारानी 1.012है0) गै0मु0 रास्ता 0.013है0, पत्थर न0 0 मु0 न0 45 किला न0 9 की 0.253है0, किला न0 10/1 की 0.202है0, किला न0 11 ता 12 की 0.506है0, किला न0 19 ता 22 की 1. 012है0, कुल 1.973है0 बारानी, पत्थर न0 0 मु0 न0 61 किला न0 1 ता 2 की 0. 506है0, पत्थर न0 0 मु0 न0 62 किला न0 2/1 की 0.0381है0, किला न0 3/1 की 0.215है0, किला न0 4 ता 5 की 0.506है0, कुल 0.759है0 कुल भूमि 4.263है0 (बारानी 4.237है0 गै0मु0 रास्ता 0.26है0) खातेदारी स्थित है जो प्रतिवादी रामचंद्र पि0मु0 सज्जना के नाम खातेदारी दर्ज है में रामचंद्र का बतौर खातेदार कोई हक व हिस्सा नहीं है, ओमीदेवी पत्नी रामचंद्र, गायत्री देवी पुत्री रामचंद्र द्वारा भी अपना हक व

भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हिस्सा त्याग कर देने के कारण उनका हक व हिस्सा नहीं है, तथा वादीगण रतनसिंह, विनोद कुमार, राजेश पुत्र श्री रामचंद्र को उक्त कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबंदी चक 2 जेएसएल खाता सं0 120 / 118 व 5 जेएसएल खाता सं0 242 / 229 की उक्त कृषि भूमि में रामचंद्र पि0मु0 सज्जना का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण रतनसिंह, विनोद कुमार, राजेश पुत्रान रामचंद्र जाति जाट नि0 झांसल त0 भादरा को बतौर खातेदार बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। चुंकि ओमीदेवी व गायत्री देवी ने वाद भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर आदेश की पालना करें। व यदि वादभूमि बैक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 —142 / 17

अनवान : —

1 रतनसिंह पुत्र श्री रामचंद्र जाति जाट निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2 विनोद कुमार पुत्र श्री रामचंद्र जाति जाट निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
3 राजेश पुत्र श्री रामचंद्र जाति जाट निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

:— **वादीगण**

ब ना म

1 रामचंद्र पि0मु0 सजना जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2 ओमीदेवी पत्नी रामचंद्र जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमागढ
3 गायत्री देवी पुत्री रामचंद्र जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमागढ

:— **प्रतिवादीगण**

न्यायालय में आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के वकील वादी श्री प्रभुराम गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री राजेन्द्र सिंह की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री कर घोषणा की जाती है चक 2 जेएसएल के खाता सं0 120 / 118 में पत्थर न0 00 मु0 न0 3 के किला न0 13 की 0.253है0, किला न0 14 / 1 की 0.126है0, किला न0 17 की 0.253है0, किला न0 18 की 0.253है0, किला न0 24 / 1 की 0.126है0 कुल 1. 0110है0 नहरी खातेदारी स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में रामचंद्र पुत्र खोलायत पुत्र सज्जना के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार चक 5 जेएसएल के खाता सं0 242 / 229 के पत्थर न0 0 मु0 न0 44 के किला न0 6 / 1 की 0.025है0, किला न0 15 / 1 की 0. 139है0, किला न0 16 / 1 की 0.240है0, किला न0 17 / 1 की 0.089है0, किला न0 23 / 1 की 0.051है0, किला न0 24 / 1 की 0.228है0, किला न0 25 की 0.253है0, कुल 1.025है0 (बारानी 1.012है0) गै0मु0 रास्ता 0.013है0, पत्थर न0 0 मु0 न0 45 किला न0 9 की 0. 253है0, किला न0 10 / 1 की 0.202है0, किला न0 11 ता 12 की 0.506है0, किला न0 19 ता 22 की 1.012है0, कुल 1.973है0 बारानी, पत्थर न0 0 मु0 न0 61 किला न0 1 ता 2 की 0.506है0, पत्थर न0 0 मु0 न0 62 किला न0 2 / 1 की 0.381है0, किला न0 3 / 1 की 0.215है0, किला न0 4 ता 5 की 0.506है0, कुल 5.759है0 कुल भूमि 4.263है0 (बारानी 4. 237है0 गै0मु0 रास्ता 0.26है0) खातेदारी स्थित है जो प्रतिवादी रामचंद्र पि0मु0 सज्जना के नाम खातेदारी दर्ज है में रामचंद्र का बतौर खातेदार कोई हक व हिस्सा नहीं है, वादीगण रतनसिंह, विनोद कुमार, राजेश पुत्र श्री रामचंद्र को उक्त कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, कि उक्त कृषि भूमि में रामचंद्र पि0मु0 सज्जना का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण रतनसिंह, विनोद कुमार, राजेश पुत्रान रामचंद्र जाति जाट नि0 झांसल त0 भादरा को बतौर खातेदार बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का

आदेश दिया जाता है तहसीलदार (राजस्व) भादरा को निर्देशित किया जाता है कि रामचंद्र, ओमीदेवी व गायत्री देवी द्वारा हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर आदेश की पालना करें।इसी अनुसार वादभूमि को स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद अमल दरामद किया जावे। इसीनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.1.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ़